भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3317

जिसका उत्तर गुरुवार, 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों की वित्तपोषण संबंधी समस्या

3317 श्री टी. जी. वेंकटेशः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय वित्तपोषण के संबंध में नित्यप्रति समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिन्हें यदि निराकरण किए बिना छोड़ दिया गया, तो इसकी परिणति परिहार्य टकराव के रूप में होती है, इन मुद्दों का समाधन करने वाले निर्णय दृढ़ता से और बिना अनुचित विलंब किए समयबद्ध तरीके से लिए जाने चाहिए, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह समस्या और भी बढ़ने वाली है क्योंकि राज्य ने अपना वित्तपोषण वापस ले लिया है और इन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को अब अपने स्वयं के संसाधन जुटाने हेतु छोड़ दिया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वित्तपोषण संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु कौन-से कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयूएस) को संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित संबंधित अधिनियमों के अधीन स्थापित किया गया है और इस प्रकार वे राज्य विश्वविद्यालय हैं । स्वयं का राजस्व उद्भूत करने के अतिरिक्त, इन्हें राज्य सरकारों से भूमि, अवसंरचना संबंधी सहायता, वित्तीय अनुदान और अन्य विकास संबंधी सहायता के आबंटन से लाभान्वित किया जाता हैं, राज्य विधान मंड़लों के सृजन होने के कारण राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों से संबंधित वित्तपोषण के विषय सबद्ध राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों और संबंधित राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है ।

****